

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर जिला बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 594/2024

प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
बनाम राजस्थान राज्य
अप्रार्थीगण
राजस्थान राज्य
रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 131 एवं 132

आदेश

दिनांक - 13/08/24

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के पत्रांक 832 दिनांक 08.07.2024 द्वारा मौजा हरूपोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 252/38, 253/38, 254/38, 255/38 में से रास्ता चल रहा है, को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का निवेदन किया, जो वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है, की किस्म परिवर्तित कर रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया साथ ही तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है मौजा हरूपोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 252/38, 253/38, 254/38, 255/38 में से रास्ता चल रहा है उसे कदिमी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की अनुशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

पटवार मण्डल - कवास

तहसील - बाड़मेर ग्रामीण

वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि						नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टि			
क्र. सं.	जीसीएमस पोर्टल पर दर्ज क्रमांक	तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्ते में प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1		832/08.07.2024	हरूपोणियों की ढाणी	252/38	0.3076	बा.दो.	252/38	0.3076	गै.मु. रास्ता
		832/08.07.2024	हरूपोणियों की ढाणी	253/38	0.0081	बा.दो.	253/38	0.0081	गै.मु. रास्ता
		832/08.07.2024	हरूपोणियों की ढाणी	254/38	0.3076	बा.दो.	254/38	0.3076	गै.मु. रास्ता
		832/08.07.2024	हरूपोणियों की ढाणी	255/38	0.3561	बा.दो.	255/38	0.3561	गै.मु. रास्ता

नोट :- तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे, भूमि नगर विकास न्यास, के खाते में यथावत दर्ज रहेगी। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश सरे ईजलास में सुनाया गया।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर